संख्या: 7/2015/275/35-1-2015-6/8(17)/2013

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 12 मार्च, 2015*

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2185/4-2080/मू0प्र0 , दिनांक 02 मार्च, 2015 का कृपया सन्दर्भ् ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत हैं कि शा0सं0-2/280 बीपी/35-1-2014-6/8 (11)/2014, दिनांक 01 जनवरी, 2015 द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज पर "विजन पेपर" का अध्ययन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से कराये जाने के रू0 4.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन देते हुए प्रथम किश्त के रूप में कार्य प्रारम्भ करने हेतु रू0 2.85 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के का0ज्ञा0 सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक-3451 के अन्तर्गत ''07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 50,00,000/- के सापेक्ष अवशेष अनुमोदित लागत रू0 2,00,000/-(रूपये दो लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रूपये 4,85,000/- (रूपये चार लाख पच्चासी हजार) मात्र की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका भुगतान उक्त शासनादेश दिनांक 01.01.2015 के प्रस्तर-2 के अनुसार किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका या अन्य प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 40

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के लेखाशीर्षक '3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 7/2015/275(1)/35-1-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।